प्रेस नोट

सराहनीय कार्य, झाँसी

दिनांक- 28.04.2025

- ❖ जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही,
- ❖ थाना नवाबाद पर गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत अभियोग (दीपनारायण यादव गैंग) के सदस्य अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ शत्रुधन सिंह पुत्र जवाहरलाल नि0 ग्राम टिकरी, रानीपुर थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित भूमि (आनुमानित कीमत 7,02,500/- रूपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) अन्तर्गत कराया गया कुर्क,

अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम तथा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट झांसी के आदेश पत्रक वाद संख्यां 4129/2024 के अनुसार आज दिनांक 28.04.2025 को थाना नवाबाद, जनपद झांसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 481/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट (दीपनारायण यादव गैंग) के सदस्य अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ शत्रुधन सिंह पुत्र जवाहरलाल नि0 ग्राम टिकरी, रानीपुर थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गयी मौजा टिकरी तहसील मऊरानीपुर स्थित भूमि नंबर 693, रकवा 0.405 हेक्टेयर भू संपत्ति के 1 /2 भाग आनुमानित मूल्य 7,02,500/- रूपये को उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर, क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर, प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार, प्रभारी निरीक्षक थाना मऊरानीपुर व लेखपाल टिकरी द्वारा ग्राम टिकरी में ढोल नगाड़ा व लाउडस्पीकर से मुनादी की कार्यवाही कराते हुए अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ शत्रुधन सिंह उपरोक्त द्वारा अवैध रूप में अर्जित की गयी उपरोक्त भूमि को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत कुर्क/जब्त किया गया। उक्त संपत्ति के कुर्क किये जाने का नोटिस बोर्ड लगवाया गया।